

As per HQs Circular No 301/N-2/46-87 dated 01.04.1987, MTS promoted to the post of Clerk who have not passed the type test before promotion, will have to pass the type test within 02 years from promotion, otherwise they will not be eligible for annual increment, confirmation and further promotion.

उपरोक्त कर्मचारी भारत सरकार के पत्र क्रमांक एफ-7/1/80-स्था./बी.-1, दिनांक 24.12.1981 के अंतर्गत अपने वेतन निर्धारण संबंधी विकल्प पदोन्नति दिनांक से एक माह के अन्दर संबंधित प्रशासन अनुभाग में प्रस्तुत करें।

Above official may submit his option regarding pay fixation in concerned admin section within one month of the date of promotion in terms of Government of India letter No. F-7/1/80-Estt./B-1, date 24.12.1981.

हस्ता/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-12

क्र. प्रशा.12/स.6/पदो./फा-16/भाग(V)/लिपिक/का.आ.-

दिनांक .12.2022

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित:-

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) म.प्र., ग्वालियर।
2. उप महालेखाकार (प्रशासन), कार्यालय प्र.म.ले. (लेखापरीक्षा-I) म.प्र., ग्वालियर।
3. उप महालेखाकार (प्रशासन), कार्यालय प्र.म.ले. (लेखा एवं हक.) म.प्र., ग्वालियर को आपदा प्रबंधन के संबंध में प्रेषित।
4. निदेशक, वित्त एवं संचार (लेखापरीक्षा), संचार भवन एनेक्सी होशंगाबाद रोड, मध्य प्रदेश, भोपाल-462011.
5. कल्याण अधिकारी।
6. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशा-11, 12 (पदक्रम सूची एवं वेतन निर्धारण सीट), 13, 14, गोपनीय कक्ष, विधि कक्ष, कार्यपालन शाखा, प्रशिक्षण/परीक्षा, ITA.
7. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/कार्यपालन शाखा, कृपया श्री जितेन्द्र कुमार राठौर का कार्यग्रहण प्रतिवेदन इस अनुभाग को प्रेषित करें।
8. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-I (मुख्यालय), कृपया श्री देवेन्द्र सिंह का कार्यग्रहण प्रतिवेदन इस अनुभाग को प्रेषित करें।
9. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/IS Wing को Administration-Personnel लिंक एवं इंटरनेट के अंतर्गत अपलोड करने हेतु।
10. भुगतान एवं लेखा अधिकारी, लेखा भवन, ग्वालियर।
11. श्री नरेश आहूजा, स.ले.प.अ, प्रशा.-14 को इंटरनेट/इन्ट्रानेट संबंधी कार्य हेतु।
12. महामंत्री, ऑडिट वेलफेयर एसोसिएशन।
13. संबंधित कर्मचारी/सूचना पटल।

Sumi
31/12/2022

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-12

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) म.प्र. ऑडिट भवन, ग्वालियर
Office of the Principal Accountant General (Audit-I) MP, Audit Bhawan, Gwalior

क्र. प्रशा.12/स.6/पदो./फा-16/भाग(V)/लिपिक/का.आ.-112

दिनांक 31.12.2022

पदोन्नति आदेश/PROMOTION ORDER

निम्नलिखित एम.टी.एस को लिपिक के पद पर लेवल-2 (₹ 19900 - 63200) में दिनांक 02.01.2023 (01.01.2023 को अवकाश होने के कारण) अथवा कार्यग्रहण दिनांक, जो भी बाद में हो, से स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया जाता है :-

The following M.T.S are promoted to the post of Clerk in Level-2 (₹ 19900 - 63200) with effect from 02.01.2023 (01.01.2023 being holiday) or from the date of joining, whichever is later:-

क्र.	नाम एवं स्थाई क्रमांक सर्वश्री Name and Prmtt No. S/Shri	वर्तमान पदस्थापना Present Posting	पदोन्नति उपरांत पदस्थापना Posting after promotion
1.	देवेन्द्र सिंह, Devendra Singh (05/10371)	ए.एम.जी-I, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) म.प्र., ग्वालियर AMG-I, O/o PAG (Audit-I) MP Gwalior	यथावत
2.	जितेन्द्र कुमार राठौर, Jitendra Kumar Rathore (05/10490)	कार्यपालन शाखा, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) म.प्र., ग्वालियर Executive Branch, O/o PAG (Audit-I) MP Gwalior	यथावत

उपरोक्त कर्मचारियों को लिपिक पद पर पदोन्नति उनके समस्त प्रमाण पत्र सत्यापन उपरान्त सही/वैध पाए जाने की शर्त के अधीन प्रदान की जाती है।

Promotion of above officials to the post of Clerk is given subject to the condition of correctness/Validation of all certificates after verification of the same.

यह पदोन्नति उक्त कर्मचारियों से वरिष्ठता रखने वाले कर्मचारियों के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी।

The Promotion shall have no adverse impact on rights of officials who are senior to them.

पदोन्नति के संबंध में स्वीकृति/अस्वीकृति, इस आदेश के जारी होने के सात दिन के अन्दर संबंधित प्रशासन अनुभाग को सूचित करें। समयावधि में स्वीकृति प्राप्त न होने की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि उन्हें पदोन्नति स्वीकर नहीं है एवं तदनुसार कार्यवाही की जावेगी।

The willingness/unwillingness for promotion shall be informed to the concerned Admin section within 7 days from issue of this order. If acceptance is not received within the stipulated time, it will be assumed that promotion is not accepted and action will be taken accordingly.

मुख्यालय के परिपत्र क्रमांक 301/एन.-2/46-87, दिनांक 01.04.1987 के अनुसार एम.टी.एस से लिपिक पद पर पदोन्नत उन कर्मचारियों को, जो पदोन्नति के पूर्व टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है, पदोन्नति के दिनांक से दो वर्ष के अन्दर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि, स्थाईकरण तथा आगामी पदोन्नति की पात्रता नहीं होगी।